

20.6.18

पञ्जाब की राजस्व लोक अशासन केंद्र, जिला
के पेशा दुरी कायदा व जीएसटी का
स्वयं अस्थापित। उभयपक्ष का कथन है कि
वह अपने-अपने हिस्से के कार्रवाई करना
चाहते हैं। एक दूसरे के हिस्से के हस्तक्षेप
नहीं करना चाहते हैं। अतः आदेश है कि
दिनांक 7.7.17 को जारी आन्तरिक अस्थापित
निर्देशिका मूल वाद के निस्तारण तक प्रारंभ
जाली है। तथा उभयपक्ष को पाबंद करिये
अरथा निर्देशिका किया जाता है कि वह
एक दूसरे के कवरेज में हस्तक्षेप मूल वाद
के निस्तारण तक ना करे। पञ्जाब की राजस्व
लोक संलग्न मूल वाद रहे।

उपसहायिका

घोलपुर (राजग)